1

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail:deobasicusnagar@yahoo.in

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांकः 15180 /नियुक्ति/विशेष शिक्षा/2025–26 दिनांकः 27 मार्च, 2026

विषयः सहायक अध्यापक प्राथमिक (विशेष शिक्षा) के पदों पर द्वितीय काउंसिलिंग हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की संकलित सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–1/109430/XXIV-A-1/2023–12983/2022 दिनांक 25.03.2023 यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1/301551/XXIV-A-1/2025–12983/2022 दिनांक 28.05.2025, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के आदेश संख्या/प्रा0शि0नियुक्ति/392/ स0अ0(वि0शि0/2025–26 दिनांक 07.11.2025 द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक (विशेष शिक्षा) के पदों पर वेतनमान 35400–112400 लेवल–06 के 18 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। उक्त विज्ञापित पदों के सापेक्ष प्रथम काउन्सिलिंग उपरान्त शेष पदों पर नियुक्ति हेतु **द्वितीय काउन्सलिंग दिनांक 03.04.2026 को प्रातः 10:00 बजे** की जानी है। जिस हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची, दिशा निर्देशों के साथ आपको विभागीय वेबसाईट **www.https://schooleducation.uk.gov.in** पर अपलोड किये जाने प्रेषित की जा रही है।

अतः काउन्सिलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची, मय दिशा–निर्देशों के साथ विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने की कृपा कीजिएगा।

संलग्नकः–1. काउन्सिलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची 2. काउन्सिलिंग हेतु दिशा–निर्देश।

भवदीय

27/03/26

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जनपद–ऊधम सिंह नगर, सहायक अध्यापक प्राथमिक डी0एड0(विशेष शिक्षा) के काउन्सिलिंग/प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची (वर्ष 2025–26)

विज्ञापित पदों की संख्या–18 (प्रथम काउन्सिलिंग उपरान्त द्वितीय काउन्सिलिंग हेतु शेष पदों की संख्या– अन्य पिछड़ा वर्ग–02)

क्रम संख्या	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	पता	जनपद	लिंग	जाति वर्ग	क्षैतिज आरक्षण	हाईस्कूल				इण्टरमीडिएट				स्नातक			डी0एड0 (विशेष शिक्षा)						यू0टी0ई0टी0/सी0टी0ई0टी0 प्रथम			Total	प्रशिक्षण का प्रकार	स्थाई निवास प्रमाण-पत्र	अभियुक्ति/आपत्ति
																					सैद्धान्तिक			प्रयोगात्मक									
										पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	बोर्ड का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	बोर्ड का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	610	श्रीमती जसप्रीत कौर सैनी	हरजीत सिंह	04-11-1988	ग्राम भवानीपुर कुण्डा जसपुर वैशाली कालोनी थाना आई0टी0ई0काशीपुर ऊधम सिंह नगर	U S Nagar	F	OBC	महिला	600	288	48.00	U.K Board	500	274	54.80	U.K Board	1350	699	51.78	900	636	70.67	1500	1266	84.40	150	89	59.33	63.26	D Ed. (Spl Ed.)	U S Nagar	
2	499	श्रीमती रेनू यादव	कमल यादव	10-10-1996	29ए देवांचल विहार, अपार सारथी विहार देहरादून	Dehradun	F	OBC	महिला	500	270	54.00	UK Board	500	278	55.60	UK Board	1350	646	47.85	900	612	68.00	1500	1330	88.67	150	95	63.33	63.19	D Ed (Spl Ed)	Dehradun	

नोट–अपलोड की गई सूची में अंकित आपत्तियों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग की तिथि तक आपत्तियों के निस्तारण हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है इसके उपरान्त किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन पर विचार नही किया जायेगा। काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने मात्र को नियुक्ति पाने का आधार न समझा जाये।

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर।

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

E-Mail:deobasicusnagar@yahoo.in

—: काउंसिलिंग/प्रमाण पत्रों का सत्यापन (दिनांक:03.04.2026) हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा—निर्देशः—

समस्त पात्रता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आप **दिनांक 03.04.2026** को **प्रातः 10:00** बजे दोपहर **12:00** बजे के मध्य कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, ऊधम सिंह नगर में आयोजित होने वाली **सहायक अध्यापक, प्राथमिक (विशेष शिक्षा)** की काउंसिलिंग/प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रकिया में निम्नांकित दस्तावेज/प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

1. समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण, अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंक पत्रों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति।
2. स्थायी/मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र।
3. दिव्यांगता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति (जो वर्तमान तिथि को वैध हो)
4. शिक्षा विभाग/अन्य विभाग द्वारा पूर्व में समान पद (सहायक अध्यापक प्राथमिक) पर चयनित होने अथवा नही होने सम्बन्धी शपथ पत्र ।
5. उत्तराखण्ड राज्य से बाहर अन्य राज्य से सम्बन्धित अभ्यर्थी, जिनका विवाह उत्तरखण्ड राज्य में हुआ हो, के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विवाह होने से सम्बन्धित विवाह प्रमाण पत्र का शपथ पत्र। (शासनादेश संख्याः 254/कार्मिक—2/2002 दिनांक 10.10.2002 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नही सकेगा।)
6. उत्तराखण्ड राज्य में स्थायी रूप से कार्यरत सरकारी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तराखण्ड में स्थायी रूप से सेवारत् रहने का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त कार्यरत् होने एवं सेवायें उत्तराखण्ड राज्य से अस्थानान्तणीय होने का निर्गत प्रमाण पत्र व सम्बन्धित के पति/पत्नी/बच्चे से सम्बंधित होने का प्रमाण पत्र।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी का इस आशय का शपथ—पत्र की प्रस्तुत करना होगा कि *"मेरे द्वारा काउंसिलिंग/प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय प्रस्तुत किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण अंकपत्र/प्रमाण, अध्यापक पात्रता परीक्षा का अंकपत्र/प्रमाण पत्र, स्थायी/मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, विशेष डी.एड. से सम्बन्धित अंकपत्र/प्रमाण पत्र, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा जारी निमयानुसार वैध प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य सही है। प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों एवं साक्ष्यों में अगर किसी भी प्रकार की असत्यता पायी जाती है तो मेरे अभ्यर्थन को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी को होगा जिसके लिए में स्वयं उत्तरदायी रहूँगी/रहूँगा। भविष्य में मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का दावा नही किया जायेगा।"*

(नोट— उक्त समस्त मूल अभिलेखों की स्व—हस्ताक्षरित दो प्रतियां, काउंसिलिंग/प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय एक फाइल में रखकर जमा किया जाना होगा। अपलोड की गई सूची में अंकित आपत्तियों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग की तिथि तक आपत्तियों के निस्तारण हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है इसके उपरान्त किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन पर विचार नही किया जायेगा। काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने मात्र को नियुक्ति पाने का आधार न समझा जाये। नियुक्ति पत्र केवल प्रकाशित विज्ञिप्ति में वर्णित पदों की सीमा तक ही अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों को उनके आरक्षण के अनुसार निर्गत किये जायेंगे। अन्य अभ्यर्थियों का नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई दावा मान्य नही होगा।)

भवदीय

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी,प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर।